

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

148

क्रमांक-सी-6-4/1/3/2011,

भोपाल, दिनांक 10 जून, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय:- परिनिंदा लघु शास्ति का शासकीय सेवक की पदोन्नति पर प्रभाव।

- संदर्भ:- 1. परिपत्र क्र. 3-2-75-3-एक, दिनांक 27.02.1975
2. परिपत्र क्र. सी-6-1-90-3-49, दिनांक 02.05.1990
3. परिपत्र क्र. सी-6-5-2010-3-एक, दिनांक 28.12.2010


शासकीय सेवकों के विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही/विभागीय जांच के संबंध में विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया तथा लघु शास्तियों का पदोन्नति पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में संदर्भित ज्ञापनों द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं, जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख है कि यदि शासकीय सेवक के विरुद्ध परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित की गई है तो उसकी पदोन्नति के संबंध में दण्ड अधिरोपित करने के बाद आयोजित भावी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में विचार किया जा सकेगा।

2/ भावी विभागीय पदोन्नति समिति के संबंध में कुछ विभागों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम-2002 के अनुसार संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की जाती है की प्रथम जनवरी को अर्हकारी अवधि की गणना करते हुये विभागीय पदोन्नति की कार्यवाही की जाना चाहिये। इससे स्पष्ट है कि भावी विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आगामी वर्ष प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की गणना करते हुये की जायेगी। शासन के समक्ष कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें 01 जनवरी की स्थिति में विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक माह नवम्बर अथवा दिसम्बर में आयोजित की गई एवं ऐसे शासकीय सेवक जिनको परिनिंदा का दण्ड माह जुलाई या अगस्त में दिया गया था, की पदोन्नति के संबंध में विचार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक को भावी पदोन्नति समिति की बैठक मानते हुये किया गया। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि यदि शासकीय सेवक के विरुद्ध परिनिंदा की शास्ति अधिरोपित की गई है और विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक माह 01 जनवरी की स्थिति में उस वर्ष माह जनवरी में

निरंतर...

आयोजित न की जाकर आगामी माहों में आयोजित की जाती है तो ऐसी स्थिति में जिन शासकीय सेवकों के विरुद्ध उस वर्ष परिनिदा की शास्ति अधिरोपित की गई है, की पदोन्नति के संबंध में विचार आगामी वर्ष में 01 जनवरी की स्थिति में आयोजित की जाने वाली विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में किया जा सकेगा।

3/ उपरोक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जाये।


(अकीला हशमत)
उपसचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृ. क्रमांक-सी-6-4 / 1/3/2011,

भोपाल, दिनांक 10 जून, 2011

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल
3. सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्य प्रदेश भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्य प्रदेश राजभवन भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्य मंत्री, मुख्य मंत्री सचिवालय, मध्य प्रदेश भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, मध्य प्रदेश भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल
10. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्य प्रदेश भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, खण्ड पीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्य प्रदेश, ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव/स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र.मंत्रालय।
16. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल
18. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयोग निर्वाचन भवन द्वितीय मंजिल भोपाल
19. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति भोपाल
20. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ भोपाल।


(कमला अजीतवार)

अवर सचिव
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल